

पत्र संख्या-सी०/ए०-२०-१२/२०११...../जे०

SS63

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

पटना, दिनांक ३१-०८-१५

विषय:- सहरसा जिला के लिए अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्रांक-५१५७/जे०, दिनांक-१४.०८.२०१५ के क्रम में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार ने सहरसा जिला के लिए कुल १३ अधिवक्ताओं को अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त अनुशंसा के क्रमांक-९ पर टंकण की त्रुटि से श्री जनर्दन प्रसाद, पंजीयन संख्या-१५१८/६९ की अनुशंसा श्री कामेश्वर प्रसाद, पंजीयन संख्या-३६५/६९ की जगह पर हो गई। उक्त टंकण त्रुटि के सुधार कर श्री जनर्दन प्रसाद की नियुक्ति को रद्द करते हुए श्री कामेश्वर प्रसाद, पंजीयन संख्या-३६५/६९ को क्रमांक-९ पर सहरसा जिला के लिए अपर लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है।

2. बाकी सभी शर्तें यथावत् रहेगी।

विश्वासभाजन

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

पटना, दिनांक-३१-०८-१५

ज्ञापांक...../जे०,

SS63

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

पटना, दिनांक-३१-०८-१५

ज्ञापांक...../जे०,

SS63

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।